the management says that 47 workers were given employment but they refused it, but the workers say that they have neither received it nor have they given any refusal slips. So, the management says they will again take up the matter with HSPL. That is the last letter which we have received from the Chief Minister of West Bengal. We want to know whether this has been taken up with HSPL.

Sardar Swaran Singh: As to what was received by the Chief Minister of West Bengal, probably the hon Member knows more than I do, because I do not know what has been received by the Chief Minister, but so far as the basic question is concerned, it is quite obvious that Indian Iron telling the workers that they have been selected by HSPL is not binding upon HSPL unless HSPL have themselves accepted this and have employed the particular number of workers that is mentioned by the hon. lady Member. What is stated by the management of Indian Iron is not binding upon HSPL, because HSPL are the authority to select the right type of suitable persons, and they cannot accept any suggestion or any undertaking which may or may not have been given by the earlier management to the workers.

Shri T. B. Vittal Rao: Could we know many workers who were retrenched in IISCO were taken by HSPL?

Sardar Swaran Singh: That is contained in the main reply.

Shrimati Renu Chakravartty: But what is the figure? We could not catch it.

Sardar Swaran Singh. Hindustan Steel selected 471 skilled workers from the workers rendered surplus at Kulti.

Shri Nagi Reddy: What was the number of workers that was rendered surplus at Kulti?

Sardar Swaran Singh: The number was 778.

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri. Where is he? I think the hon. Member was here. Was he not there yesterday? If hon. Members go on changing their seats, they cannot catch my eye.

Fire at I.A.F. Signals Centre, Gurgaon

+

*481. { **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Bhakt Darshan: }

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the loss sustained by Government as a result of fire in the I.A F. Signals Centre in Gurgaon;

(b) whether an enquiry into this incident was instituted by Government; and

(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister of Defence (Sardar Majithia): (a) to (c). A Court of Inquiry has been ordered to investigate the incident in accordance with Air Force Rules The proceedings have not yet been finalised. The amount of loss sustained by Government as a result of the fire and the findings of the Court of Inquiry cannot, therefore, be stated at present.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री हिन्दी में भी बता दें तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय · अंग्रेजी नहीं जानते क्या ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा मूल प्रश्न हिन्दी में है।

अध्यक्ष महोदय : तब हिन्दी मे उत्तर दिया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़) : (क) से (ग) एयर फोर्स के नियमों के अनुसार इस घटना की जांच के लिये एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी नियुक्त की गई है। उसकी

कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई । इस लिये अग्नि के कारण सरकार को हुई हानि और कोर्ट आफ इन्क्वायरी का निर्णय फिलहाल नहीं बताया जा सकता ।

Shri Joachim Alva: As a result of the loss sustained here and also of a big conflagration that took place during the Palam Aerodrome incident, may I know whether the Government has reviewed the whole state of fire fighting equipment in the Indian Air Force Station, and whether the fire fighting equipment there is as good as the best to be found in any of the best air forces?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): In this particular matter there was no question of using the fire-fighting equipment The building was built of inflamable material during the war and no fire-fighting equipment could have saved this place

श्री भक्त दर्शन जहां तक मुझे मालूम है इस स्टेशन पर आग ३० अक्तूबर १९५८ को लगी थी । मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी आखिर इस इन्क्वायरी के परिणाम निकलने में क्यों हो रही है ?

Mr. Speaker: Why so much of delay?

Sardar Majithia: A lot of investigation has to take place in this because there is no question of sabotage Why the fire took place, whether it is due to deterioration of certain wires or some short circuit took place some where, what is the cause of that—all this is a technical matter, and it takes some time

श्री भक्त दर्शन जहां तक मुझे मालूम है यह सिगनल सैंटर इंडियन एयर-फोर्स के लिये बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत जरूरी काम इस से किया जाता था । मैं जानना चाहता हूं कि आग लग जाने के बाद वह काम किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ।

Sardar Majithia: In the statement which I laid on the Table of the House immediately after this accident took place I had said that the work had started normally immediately after that

Mr. Speaker: Which institution has taken over the work that was being done by this? That was the question

Sardar Majithia: We had certain stand-by equipment, and all the work that was carried out by this station was not interrupted

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस बारे में फैसला होने की उम्मीद की जाती है ?

Sardar Majithia: Very shortly

श्री नवल प्रभाकर मैं जानना चाहता हूं कि इस आग के लगने से आर्थिक दृष्टि से कितना नुकसान हुआ है ?

Sardar Majithia: That I am afraid will have to wait till the court of enquiry findings come up to the Ministry

Shri M. R. Krishna: May I know whether the members of the enquiry committee are all from the Air Force or from the serves including the State Government representatives?

Sardar Majithia: I am not sure of that, but they are under the Air Force rules, and if I am not wrong, they would be Air Force officers.

श्री भक्त दर्शन इंडियन एयर-फोर्स का स्टेशन तो यह था ही लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इसमें डाक और तार विभाग यानी पी० एंड टी० और नेवी के भी अंग थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस इन्क्वायरी में उनके प्रतिनिधियों को भी एसोसिएट (सम्मिलित) किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय . नहीं जानते हैं ?

Sardar Majithia: I do not think the P. & T Department is associated in this, because this is entirely an Air Force station

Shri V. K Krishna Menon: It would be impossible to have other civilian departments into this because this is conducted under the Air Force Regulations, and penalties attach to them if there is any negligence proved

हिन्दी टाइपराइटरों की तालिका पट्ट

*४८२ **श्री वाजपेयी** क्या शिक्षा मन्त्री ६ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी टाइपराइटर के नये तालिका-पट्ट के आधार पर कुछ मशीनों का निर्माण हुआ है ,

(ख) यदि हां, तो एक टाइपराइटर का मूल्य कितना है और उसकी गति क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लिपि का प्रश्न अन्तिम रूप से तब होते ही, वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय से प्रार्थना की जायगी कि वह हिन्दी टाइप-राइटरों के बनाने का काम शुरू करे ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे को अफसोस है कि इस टाइपराइटर के बनाने में देरी हुई है । इसका कारण यह है कि १९५५ में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि जो लखनऊ की कान्फ्रेंस की सिफारिशें थी उनको मंजूर कर लिया जाय और वे मंजूर हो गई थी । एक कमेटी भी नियुक्त हुई थी टाइपराइटर बनाने के लिये और उसने अपनी रिपोर्ट १९५६ में पेश की थी और टाइपराइटरों को बनाने की तैयारी हो रही थी । इस बीच में यू० पी० गवर्नमेंट ने एक दूसरी कान्फ्रेंस बुलाई जिसके बारे में न तो हमसे पूछा गया और न ही हम से मशिवरा किया गया और उसने जो पहले की कान्फ्रेंस की सिफारिशें थी १९५३ की, उनको बदल दिया । इसकी वजह से एक उलझन पैदा हो गई । अब मैं सारे मामले को शिक्षा मन्त्रियों की कान्फ्रेंस में जल्दी से जल्दी रखूंगा और इस बात की कोशिश की जायगी कि अन्तिम निर्णय हो जाये और अन्तिम निर्णय होते ही हमारी यह कोशिश होगी कि टाइपराइटर तैयार हो जायें ।

श्री वाजपेयी अभी मन्त्री जी ने कहा कि लिपि सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दूसरा सम्मेलन बुलाया है उस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार लिपि सुधार के सम्बन्ध में होने वाले सम्मेलनों पर क्यों निर्भर रहती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली यह तो स्पष्ट है कि कोशिश इस बात की है कि सारे देश में हिन्दी की स्क्रिप्ट एक ही हो । यह नहीं हो सकता है कि एक राज्य में एक प्रकार की लिपि हो और दूसरे राज्य में दूसरे प्रकार की । इस दृष्टि से लखनऊ कान्फ्रेंस जो १९५३ में हुई थी उस के निर्णयों को भारत सरकार ने मान लिया था । इस बीच में मुझे अफसोस है कि सन् १९५७ में पहले जो निर्णय किया गया था वह बदल दिया गया । अब हमारी कोशिश यह है कि इस मामले को दुबारा शिक्षा मन्त्रियों की कान्फ्रेंस में रखा जाय और अन्तिम निर्णय किया जाय । लेकिन जब तक लिपि के मामले में सब राज्यों में एक ही